प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 24.08.2024

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे पर हुई लूट की घटना में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक गत्ता पेटी प्लेटनुमा मशीनरी पार्ट बरामद

दिनांक 20.08.2024 को थाना मुरादनगर पर वादी/ड्राइवर श्री महेश कुमार दुबे पुत्र श्री सोमनाथ दुबे नि0 छोटी सिहावल थाना जिगना जिला मिर्जापुर ने तहरीर दी कि दिनांक 19.08.2024 की रात्रि को मैं पटेल नगर गाजियाबाद से अपना परचून के सामान से भरा ट्रक न0 HR55AR0840 को लेकर पेरीफेरल हाइवे से विलासपुर जा रहा था कि ग्राम रेवडी हिण्डन नदी से पहले एक वाहन मे सवार 03-04 लोगो ने मेरा ट्रक ओवर टेक कर के रोक लिया और मुझे ट्रक से नीचे उतारकर मेरे हाथ पैर बांधकर सडक के किनारे फेंक दिया और मेरा सामान से भरा ट्रक लेकर चले गये। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु टीमों का गठन कर रवाना किया गया।

स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए दिनांक 21.08.24 को लूटे गये ट्रक नं0 HR 55AR 0840 में लगे जीपीएस सिस्टम के माध्यम से ट्रक को ट्रेस कर पंचलोक थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद से बरामद किया गया तथा दिनांक 22.08.2024 को सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस व मैनुअल इन्पुट के माध्यम से उपरोक्त घटना का सफल अनावरण कर उक्त घटना कारित करने वाले 03 शातिर लुटेरे 1. इनाम, 2. शकील पहलवान, 3. ताज मौहम्मद को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 ट्रक व लूटे गये बंद बॉडी ट्रक से निकाला गया सामान -01 मोटर गोदरेज कम्पनी, 03 गत्ता पेटी प्लेटनुमा मशीनरी पार्ट, 01 गत्ता पेटी जिसमें बॉस कम्पनी के 04 ग्राइंडर, 01 कट्टे में प्लेट बनाने की डाई व 02 टायर जेके कम्पनी रिम सहित बरामद हुआ था।

आज दिनांक 24.08.2024 को थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त शहजाद पुत्र शमशाद नि0- बदरखा थाना छपरौली जिला बागपत को गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशांदेही पर एक गत्ता पेटी प्लेटनुमा मशीनरी पार्ट बरामद हुए। आवश्यक अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 19-20/08/2024 की रात्री को मै अपने अन्य तीन साथियों ताज मौहम्मद उर्फ ताजू, इनाम व शकील पहलवान के साथ एक्सप्रेस वे पर लूट करने की फिराक में इनाम की गाडी UP 17BT 8586 ट्रक 6 चक्का से घूम रहे थे जब हम लोग गाजियाबाद से बागपत की तरफ जाने वाले रास्ते पर हिण्डन नदी के पास पहुंचे तो देखा कि पैरीफेरल पर सुनसान जगह पर रोड के किनारे एक बन्द बाडी का कंटेनर ट्रक खडा है। हमने अपनी गाडी रोककर बन्द बाडी कंटेनर ट्रक का कन्डेक्टर साइड का सीसा तोडकर उस ट्रक की खिडकी खोली तथा अन्दर सो रहे ड्राइवर को बाहर निकालकर पैरिफेरल से नीचे खेतो मे ले जाकर उसके हाथ पैर बांधे और उसे वहीं छोड़ दिया। उसके बाद बन्द बाडी कंटेनर ट्रक मे इनाम और मै जाकर बैठ गये उस कंटेनर ट्रक को इनाम चला रहा था तथा हम एकान्त जगह की तलाश करते हुए ट्रोनिका सिटी पहुंचे। दूसरे ट्रक को ताजू चला रहा था तथा शकील उसके पास बैठा था। जंगल मे एकांत जगह पर हम चारों ने छीने गये

बन्द ट्रक के पीछे का दरवाजा अपने ट्रक की मदद से लोहे की चैन द्वारा तोडकर उसमे से एक मोटर व चार कार्टून और अन्य सामान निकाले थे एक जैसे चार कार्टूनो मे से अपने हिस्से का एक कार्टून को मैने वही पास ही जगंल मे ऱखवा दिया था बाकी सामान को हम लोगो नें अपने ट्रक मे रख लिया था इसके बाद हमने दोनो ट्रको को सडक पर लाकर खडा कर दिया था तथा लूटे गये ट्रक मे से ही जैक निकालकर उसके पीछे की दांहिनी साइड के एक जोडी पहिये भी निकाल लिये थे जो हमारे ट्रक 8586 में पीछे रखे थे। आज मैं मोका पाकर अपने हिस्से की रखी हुई पेटी को उठा कर ले जाने के लिये किसी सवारी का इंतजार कर रहा था कि आपने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शहजाद पुत्र शमशाद नि0- बदरखा थाना छपरौली जिला बागपत उम्र करीब 20 वर्ष

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर लूट की घटना के सम्बन्ध में एक अभियोग पंजीकृत किया गया, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण

एक गत्ता पेटी प्लेटनुमा मशीनरी पार्,

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 22.08.2024 को थाना अंकुर विहार पर वादिया द्वारा तहरीर दी कि हमारे पडोस मे रहने वाले तोहिद द्वारा रात करीब 12.30 बजे वादिया की बेटी को घर से बुलाकर अपने घर मे ले गया तथा वहां ले जाकर बेटी के साथ गलत काम किया। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना अंकुर विहार पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।

दिनांक 24.08.2024 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त तोहिद पुत्र नूर मौहम्मद नि0 बुद्धनगर नसबन्दी कालोनी कब्रिस्तान के सामने थाना अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त तोहिद पुत्र नूर मौहम्मद उपरोक्त ने बताया कि वह आवेदिका के पडोस में रहता है तथा वह आवेदिका के घर आता जाता रहता है। दिनांक 22.08.24 को रात्रि के समय उसने आवेदिका की पुत्री को अपने घर ले जाकर उसके साथ गलत काम किया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

तोहिद पुत्र नूर मौहम्मद नि0 बुद्धनगर नसबन्दी कालोनी कब्रिस्तान के सामने थाना अंकुर विहार कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष

आपराधिक इतिहास -

अभियुक्त के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

दिनांक 23.08.2024 को थाना कविनगर पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन के मुकदमें मे वांछित अभियुक्त फैसल खान पुत्र सफीक अहमद निवासी म0न0 380 इन्द्रगढी नियर सी ब्लॉक गोविन्दपुरम थाना मसूरी कमि0 गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया

घटना का विवरण:-

दिनांक 23.08.2024 को आवेदक श्री राकेश कुमार (बदला हुआ नाम) निवासी शास्त्रीनगर थाना कविनगर गाजियाबाद ने एक प्रार्थना पत्र प्रदान किया कि अभियुक्त **अभियुक्त फैसल खान पुत्र सफीक अहमद निवासी म0न0 380 इन्द्रगढी नियर सी ब्लॉक गोविन्दपुरम थाना मसूरी कमि0 गाजियाबाद** द्वारा वादी की पत्नी सविता (बदला हुआ नाम) के दिमाग का वशीकरण कर धर्म परिवर्तन कराना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना कविनगर पर उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 बनाम अभियुक्त फैसल उपरोक्त पंजीकृत कर अनावरण हेतु पुलिस टीमो का गठन किया गया।

कार्यवाही का विवरण:-

वांछित की गिरफ्तारी हेतु गठित टीम व उ0नि0 रविन्द्र सिंह व उ0नि0 कप्तान सिंह व उ0नि0यूटी0 आफताब अहमद, हमराह का0 1425 मुकेश कुमार के दिनांक 23.08.2024 को थाना हाजा से पर मुकदमा उपरोक्त में रवाना होकर मुखबिर की सूचना के आधार पर डीपीएस स्कूल के पास गोविन्दपुरम से अभियुक्त उपरोक्त गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लायी गई।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त ने बताया कि मैं एक संस्थान में एचआर का काम करता हूँ, मैने अपने मोबाइल में इसका नम्बर रफा के नाम से फीड (सेव) कर रखा था तथा मै सविता को जून 2023 से जानता था वह मुझसे स्कूल में पढाने के दौरान सम्पर्क में आई। मैंने अपनी प्यार भरी बातों में बहला फुसलाकर इसे ईस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया और इसे 01 मोबाइल लेकर दिया जिससे मैं रोज छिप –छिप कर बाते किया करता था व ईस्लाम धर्म अपनाने के मैसेज भी भेजता रहता था। जिससे प्रेरित होकर व वशीकरण के चंगुल में फंसाकर सविता (बदला हुआ नाम) उपरोक्त का मेरे द्वारा धर्म परिवर्तन कराया गया।

अभियुक्त का नाम पता

फैसल खान पुत्र सफीक अहमद निवासी म0न0 380 इन्द्रगढी नियर सी ब्लॉक गोविन्दपुरम थाना मसूरी कमि0 गाजियाबाद

आपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त फैसल खान उपरोक्त के विरूद्ध थाना कविनगर पर उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 में अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाले टीमः-

थाना कविनगर पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद

स्वाट टीम नगर जोन व थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा अपहरण कर बर्बर हत्या करने वाले 03 अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार। कब्जे से घटना में इस्तेमाल फावडा व एक दरांती (मृत शरीर को काटने में प्रयोग किये गये उपकरण) व दो गद्दा, व मृतक की गाडी KIA SONET व घटना में इस्तेमाल गाडी WAGON-R बरामद।

दिनांक 17-8-24 को वादी श्री अमन स्वामी पुत्र अजय स्वामी निवासी आई-008 केडब्लू सृष्टि राजनगर एक्सटेंशन थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद ने सूचना दी कि मेरा साला तरुण पवांर दिनांक 16-8-24 की शाम से घर से मोरटी गांव काम से जाने के लिए बता कर निकला था, तब से ही उसका फोन स्विच ऑफ है, उक्त सूचना पर थाना नन्दग्राम गुमशुदगी क्र0सं0 139/24 पंजीकृत की गयी थी, गुमशुदा का काफी खोज बीन के बाद भी सुराग ना लगने पर दिनांक 20-8-24 को उक्त के क्रम में मुकदमा अपराध संख्या पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, स्वाट टीम व थाना स्तर पर टीमो का गठन किया गया, दिनांक 24-08-24 को घटना में शामिल 03 अभियुक्तो (02 पुरुष व 01 महिला) को गिरफ्तार किया गया, जिनकी निशादेही पर अपहर्त तरुण पंवार के शरीर का टुकडा (दाहिना पैर घुटने से नीचे की) को जिला बुलन्दशहर रामगढ झाल के पास गंग नहर से मय घटना में इस्तेमाल फावडा व एक दरांती (मृत शरीर को काटने में प्रयोग किये गये उपकरण) व दो गद्दे, व घटना में प्रयुक्त एक गाडी WAGON-R मय मृतक की गाडी KIA SONET बरामद।

अभि0गण का नाम व पता-

1 पवन पुत्र वीर सिंह निवासी ग्राम खरकाली थाना बीबीनगर जिला बुलन्दशहर
2 वंश पुत्र मोहनवीर सिंह निवासी ग्राम खरकाली थाना बीबीनगर जिला बुलन्दशहर
3 अंजली पत्नी वैभव पुत्री नरेन्द्र सिंह निवासी ओरा कायमेरा सोसायटी राजनगर एक्सटेंशन थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद

4 दीपांशु पुत्र किरनपाल निवासी ग्राम चित्तसौना थाना बीबीनगर जिला बुलन्दशहर (फरार)
5 अक्षय पुत्र निवासी इन्द्रापुरी थाना लोनी जिला गाजियाबाद (फरार)
6 जीते निवासी शेहरा (फरार)
7 अंकुर पुत्र बिजेन्द्र निवासी ग्राम खरकाली थाना बीबीनगर बुलन्दशहर (फरार)
8 मनोज पुत्र रुपा (फरार)
9 अंकित निवासी ग्राम धुमहैडा थाना बीबीनगर जिला बुलन्दशहर (फरार)

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त पवन व वंश ने पूछताछ में बताया कि हमारे साथी दीपांशु पुत्र किरनपाल निवासी ग्राम चित्तसौना थाना बीबीनगर जिला बुलन्दशहर व अंकित निवासी धुमेडा थाना बीबीनगर जिला बुलन्दशहर तथा अंजली पत्नी वैभव पुत्री नरेन्द्र सिंह निवासी ओरा कायमेरा सोसायटी राजनगर एक्सटेंशन थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद तथा अक्षय पुत्र निवासी इन्द्रापुरी थाना लोनी जिला गाजियाबाद, जीते निवासी शेहरा, अंकुर पुत्र बिजेन्द्र निवासी ग्राम खरकाली थाना बीबीनगर बुलन्दशहर के साथ मिलकर तरूण पवाँर उपरोक्त की हत्या करने की योजना बनायी थी। दीपांशु व अंकित के मकान मालिक मनोज पुत्र रूपा निवासी ग्राम मोरटा थाना बापूधाम जनपद गाजियाबाद भी हमारी योजना में शामिल थे। तरून पवाँर इन्टीरियल डिजाइनिंग का काम करता था तथा अंजली जिसका अपने पति से छूटछुटाव हो गया है जो अक्षय की साली है। तरून पवाँर की अंजली के साथ नजदीकी थी जिसकी अंजली ने अपने बहनोई अक्षय व मुजे (पवन) से शिकायत की थी । अंजली के अपने बहनोई अक्षय से अवैध सम्बन्ध थे, अंजली को मैं (पवन) भी चाहता था। दिनांक 16.08.2024 को योजनाबद्ध तरीके से दीपांशु उपरोक्त ने तरून पवाँर को फोन कर घर में इन्टीरियर डिजाइन का काम करने के बहाने से मोरटा में अपने किराये के मकान में बुलाया था जहाँ पहले से ही हम दोनों लोग अपने चार अन्य साथी जीते, अंकुर, दीपांशु व अंकित के साथ मौजूद थे तरून पवाँर के आने पर हम लोगों ने उसे अन्दर कमरे में बैठा लिया था और रस्सी डालकर गला दबाया जिससे वह बेसुद हो गया तथा दीपांशु ने तरून के सिर में डन्डा मारा था जिससे तरून पवाँर का सिर फट गया था तथा अंकुर घर के बाहर खड़ा निगरानी कर रहा था कि कोई अन्दर न आ जाये। हम लोगों ने मिलकर तरून पवाँर की हत्या कर दी। उसके पश्चात मैं (वंश) तथा दीपांशु, तरून पवाँर की गाडी KIA SONET नं0 यूपी 14ई0डब्ल्यू0 0102 को यशोदा हास्पीटल नेहरूनगर की पार्किंग में खडी कर आटो से वापस मोरटा में कमरे पर आ गये थे। उसके बाद हम चारों लोग उसी कमरे पर रात्रि के 12.00 बजे के बाद तरून पवाँर के शव को अंकित की मोटर साईकिल डिस्कवर पर बीच में रख लिया था। मोटरसाइकिल डिस्कवर को मैंने(पवन) चलाया था तथा तरून पवाँर को पकडे पीछे दीपांशु बैठा था। फिर करीब 200 – 250 मीटर दूर जहाँ हमारी गाडी वैगनार नं0 यूपी 14सीवी 5611 खडी थी में पीछे की सीट पर डाल दिया था। गाडी पवन(मेरे) द्वारा चलायी गयी थी तथा बराबर में वंश बैठा था तथा पीछे वाली सीट पर तरून पवाँर की बॉडी के पास दीपांशु बैठा था तथा अंकित मोटर साईकिल से हमारे पीछे पीछे निगरानी करता हुआ चल रहा था, फिर हम हमारे गांव के पास स्थित शेहरा वाली नहर पर आये थे। जहां हम चारों ने मिलकर साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से मृतक के शरीर के 03 टुकडे करके नहर मे अलग-अलग जगह फेंक दिये थे । उसके बाद सभी अलग-अलग भाग गये थे ।

बरामदगी का विवरण-

1 एक फावडा
2 एक दरांती (मृत शरीर को काटने में प्रयोग किये गये उपकरण)
3 दो गद्दे (जिसमें रक्त लगा है),
4 मृतक की गाडी KIA- SONET

5 घटना में इस्तेमाल गाडी WAGON-R बरामद

गिरफ्तार करने वाली टीम—

स्वाट टीम नगर जोन कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 14.08.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर वादिया द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र अभियुक्त द्वारा वादिया के साथ अपने आपको अक्षय नामक व्यक्ति बताकर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म व अप्राकृतिक यौन शोषण करने, गर्भपात कराने, मारपीट करने व धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाने व धमकी देने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर तत्काल थाना क्रासिंग रिपब्लिक पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया।

दिनांक 24.08.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त मौ0 फैजान पुत्र हसीब असगर निवासी म०नं०-916 सिविल लाइंस निकट पी.सी.एफ. गोदाम व मस्जिद थाना कोतवाली नगर जनपद गोंडा उम्र 30 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया गया कि वर्ष 2015 मे मेरी वादिया से लखनऊ मे दोस्ती हुई थी, उसके बाद हमारी एक दूसरे से फेसबुक के माध्यम से बाते होती रहती थी। धीरे धीरे दोस्ती काफी आगे बढ गयी तथा उसके बाद वादिया ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर से अपनी MBA की पढाई करने के लिए 2016 मे आई थी तथा इसी बीच मेरी भी जॉब ग्रेटर नोएडा मे एक आईटी कम्पनी मे लग गयी थी। तब से हम दोनो एक दूसरे के सम्पर्क मे रहे है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त–

मौ0 फैजान पुत्र हसीब असगर निवासी म०नं०-916 सिविल लाइंस निकट पी.सी.एफ. गोदाम व मस्जिद थाना कोतवाली नगर जनपद गोंडा उम्र 30 वर्ष।

अभियुक्त गण का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर दुष्कर्म व धर्म परिवर्तन कराने से सम्बन्धित अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा लूट व चोरी की घटना कारित करने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूट का 01 मोबाइल फोन,लूट का सामान बेचकर प्राप्त 1250/-रुपये व घटना में प्रयुक्त चोरी की 01 स्कूटी बरामद।

कार्यवाही का विवरणः दिनांक 24.08.2024 थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान व मुखबिर की सूचना के आधार पर लूट व चोरी की घटना कारित करने वाले 02 शातिर अभियुक्त 1.आशिफ उर्फ नउआ पुत्र रहीस निवासी फिरदौस मस्जिद के पास गरिमा गार्डन थाना टीलामोड जनपद गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष 2.गुलफाम उर्फ मुन्ना पुत्र शेर मोहम्मद निवासी फिरदौस मस्जिद के पास गरिमा गार्डन थाना टीलामोड जनपद गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष को हुंडई कट के पास थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से लूट का 01 मोबाइल फोन, लूट का सामान बेचकर प्राप्त 1250/-रुपये व घटना में प्रयुक्त चोरी की 01 स्कूटी बरामद हुई। अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि हम दोनो ने मिलकर कुछ दिनों पहले यह स्कूटी गणेशपुरी पांण्डव नगर दिल्ली से चोरी की है। हम दोनों ने ही मिलकर दिनांक 02.06.2024 की शाम को सेक्टर 05 राजेन्द्र नगर साहिबाबाद में सड़क पर जाती हुई महिला से यह मोबाइल फोन लूटा था। दिनांक 02.05.2024 को राजेन्द्र नगर सेक्टर 03 में रात्रि में जोमैटो वाले से फोन छीना था। तीन महिने पहले हम दोनों ने आयकर भवन वैशाली के सामने से एक महिला गले से सोने की चैन लूटी थी इस प्रकार हम दोनो मिलकर लूट व चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम देते रहते है। लूट व चोरी के माल को अपनी मजबूरी बताकर राह चलते लोगों को सस्ते दामों में बेच देते है। जो पैसे मिलते है। उन्हे हम दोनों मिलकर आपस में बांट लेते है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः

1. आशिफ उर्फ नउआ पुत्र रहीस निवासी फिरदौस मस्जिद के पास गरिमा गार्डन थाना टीलामोड जनपद गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष।
2. गुलफाम उर्फ मुन्ना पुत्र शेर मोहम्मद निवासी फिरदौस मस्जिद के पास गरिमा गार्डन थाना टीलामोड जनपद गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष।

गिरफ्तातर अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः

गिरफ्तार अभियुक्त आशिफ उर्फ नउआ व गुलफाम उर्फ मुन्ना के विरुद्ध थाना साहिबाबाद, थाना शालीमार गार्डन, थाना कौशांबी में लूट का 01-01 अभियोग पंजीकृत है। तथा दिल्ली में चोरी का 01-01 अभियोग पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण

लूट का 01 मोबाइल फोन,लूट का सामान बेचकर प्राप्त 1250/-रुपये व घटना में प्रयुक्त चोरी की 01 स्कूटी बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम